न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,गंगापुर सिटी (राज0)
पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री रामकिशोर मीना , आर0ए0एस0

| मुकदमा नंबर | किस्म मुकदमा | दर्ज दिनांक |
|---|---|---|
| 01/23 | एफएसएस एक्ट, 2006 | 16/06/2023 |

1. वीरेन्द्र कुमार सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मु0चि0 एवं स्वा0 अधिकारी सवाई माधोपुर
–आवेदक

बनाम

1. श्री दुर्गेश छीपी पुत्र स्व0 श्री राधेश्याम छीपी (विक्रेता) मैसर्स : अनीता स्टोर,एनआरआई शॉपिंग मॉल, गोपाल जी मन्दिर के पास, वजीरपुर। निवासी– वार्ड नं0 4 छीपी मोहल्ला वजीरपुर।

2. श्री टीकम चन्द गुप्ता पुत्र श्री विष्णु लाल (प्रोपराईटर) मैसर्स : घनश्याम दास एण्ड ब्रदर्स। पावर हाउस के पास, हाई स्कूल, के पास, हिण्डौन सिटी। निवासी– भयला पुरा, हिण्डौन सिटी, करौली–322230।
3. श्री अरविन्द कुमार अग्रवाल पुत्र तुलसी प्रसाद अग्रवाल (प्रोपराईटर) मैसर्स : गंगा डयेरी तुलसीपुरम, रामघाट रोड, अतरोलीजिला अलीगढ (यू.पी.)–202280
–अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय दिनांकः– 23.07.2025

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) के तहत प्रस्तुत किया गया। आवेदन के अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे शुद्ध के लिये युद्ध अभियान के तहत दिनांक 24.06.2022 को दोपहर 01.00 पी.एम पर एनआरआई शॉपिंग मॉल, गोपाल जी मंदिर के पास स्थित फर्म अनीता स्टोर पर पहुंचे एवं संस्थान का निरीक्षण किया। संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया गया कि आम जनता को विक्रय हेतु 1–1 लीटर पैकिंग में 7 पैकेट घी (तुलसी) काउन्टर पर रखे थे। उक्त घी में गुणवत्ता / मिलावट का अन्देशा होने पर वास्ते नमूना जॉच हेतु 4 पैकेट (4) लीटर) घी (तुलसी) खरीदकर उसकी कीमत 1760/– रुपये विक्रेता को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता श्री दुर्गेश छीपी पुत्र श्री स्वः श्री राधेश्याम छीपी के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान जाहिद एवं श्री शैतान सिंह के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा घी (तुलसी) के चारो पैकेटों पर लेबल तैयार कर प्रत्येक पैकेट पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं क्रमांक ह–2344 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–2 खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ह–2344 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारो नमूना भागो पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियाँ एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री दुर्गेश छीपी पुत्र श्री स्वः श्री राधेश्याम छीपी ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5ए की एक प्रति श्री दुर्गेश छीपी पुत्र श्री स्वः श्री राधेश्याम छीपी को देकर रसीद प्राप्त की। फॉर्म सं. 5ए एव फर्द रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. छः की सात प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की प्रति पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीदे प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2022/1847 दिनांक 25.07.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.09.15 12:49:47 IST
Reason: Self Attested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

विश्लेषक, राज, जयपुर से प्राप्त जांच रिपॉट सं. एलएस/2237/एक्ट/2022/2265 दिनांक 11.07.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ घी (तुलसी) सब–स्टैंडर्ड – कॉन्ट्रैवंस रेगुलेशन 2.3.7 (2) प्रकृति का होना पाया गया है। जॉच रिपोर्ट एवं पत्र न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। अभियुक्तगण द्वारा सबस्टेण्डर्ड घी (तुलसी) का विक्रय/निर्माण करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (आईआई) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित होने पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

आवेदक ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अभियुक्तगण द्वारा सबस्टेण्डर्ड घी (तुलसी) का विक्रय/निर्माण करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (आईआई) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अभियुक्तगण ने दौराने बहस निवेदन किया कि आवेदक द्वारा उक्त आवेदन न्यायालय हाजा में गलत रूप से प्रस्तुत किया है। आवेदक को नमूना जांच के समय दो स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर होना आवश्यक था। लेकिन प्रपत्र 5 ए के अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत होता है। उक्त प्रपत्र में गवाह के रूप में किस के हस्ताक्षर है कोई नाम व मोवाइल नं0 अंकित नहीं किया गया है। आवेदक द्वारा अभियुक्तगण को डरा धमकाकर खाली कागजों में हस्ताक्षर करवा लिये । जिसका आवेदक ने गलत रूप से उपयोग किया गया है, साथ ही वकील अभियुक्तगण ने उक्त प्रकरण में कार्यवाही ड्रॉप करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली मे संलग्न मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज, जयपुर से प्राप्त जांच रिपॉट सं. एलएस/2237/एक्ट/2022/2265 दिनांक 11.07.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ घी (तुलसी) सब–स्टैंडर्ड – कॉन्ट्रैवंस रेगुलेशन 2.3.7 (2) प्रकृति का होना पाया गया है। वकील अभियुक्तगण के कथन में प्रपत्र 5 ए का अवलोकन किया गया। उक्त प्रपत्र में गवाह के रूप में किस व्यक्ति के हस्ताक्षर है। स्पष्ट अंकित नहीं किया है ना ही उक्त गवाह का नाम व मोबाइल नं0 अंकित किया है। यदि आवेदक उक्त जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं था तो रैफरेल प्रयोगशाला में जांच हेतु निर्धारित समयावधि में आवेदन कर सकता था,अतः आवेदक द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध की गई समस्त कार्यवाही उचित प्रतित होती है।

अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 2006 की धारा 51 के तहत की गई अनियमितता के लिये अभियुक्तगण को संयुक्त रूप से 25,000 (पच्चीस हजार) रू0 की आर्थिक शास्ति से अधिरोपित कर दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक...23.07.2025 . को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( रामकिशोर मीना )
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.09.15 12:49:47 IST
Reason: SelfAttested